

**Hindi General Terms of Allotment of District for Distributorship of
product (Panchgavya 5ml) manufactured by Dlog Technologies,
Chennai, India.**

(wef 28 4 25)

**उत्पादों के जिला स्तरीय विपणन वितरक की नियुक्ति की सामान्य
शर्तें**

डीलॉग टेक्नोलॉजीज, चेन्नई, भारत द्वारा निर्मित।

(28 4 25 से प्रभावी)

जिला वितरकों की नियुक्ति की सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं: डीलॉग टेक्नोलॉजीज द्वारा और उनके बीच, न्यू नं. 21, थम्बैया रोड एक्सटेंशन, वेस्ट माम्बलम, चेन्नई 600 033 में स्थित, पंचगव्य (संक्षेप में पीजी) के निर्माता, जिसका प्रतिनिधित्व इसके एकमात्र स्वामी श्री आर. चंद्रमौलीस्वरन द्वारा किया जाता है, जिन्हें इसके बाद निर्माता संक्षेप में एमएफआर के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

और

मेसर्स, स्थित

एक चिंता, जिसका प्रतिनिधित्व श्री द्वारा किया जाता है, जिन्हें इसके बाद जिला विपणन वितरक के रूप में संक्षेप में डीएमडी कहा जाएगा। और

जबकि, एमएफआर पंचगवय जैविक खाद, गाय दूध बूस्टर सांद्रण (डीएफएसीसीडीपी 400 मिलीग्राम) और डीसाल्ट 5 ग्राम के विनिर्माण में लगी हुई है और पूरे भारत में जिला स्तरीय विपणन वितरक (डीएमडी) नियुक्त करने में रुचि रखती है।

चूंकि डीएमडी ने एमएफआर से संपर्क किया है और राज्य में जिला विपणन वितरक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है, डीएमडी की नियुक्ति की सामान्य शर्तें नीचे दी गई हैं:

1. कि डी.एम.डी. को भारत के राज्य में जिले के लिए डी.एम.डी. नियुक्त किया जाता है, जो इस तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए नीचे निर्धारित सामान्य शर्तों पर होगा। इस अवधि को आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक ऐसे विस्तार पर केवल 2 वर्ष का कार्यकाल होगा।

2. डीएमडी सामान्यतः इस नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धी उत्पादों या समान उत्पादों या डुप्लिकेट उत्पादों को बढ़ावा नहीं देने पर सहमत हैं।

3. डीएमडी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने जिले में 75% किसानों को कवर करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक तालुका स्तर के वितरक या गांव स्तर के डीलरों को नियुक्त करने और अपने अधीन जिले के

सभी पंचायतों और प्रमुख और छोटे शहरों में डीलर आउटलेट नियुक्त करके इस समझौते द्वारा कवर किए गए सामानों की बिक्री को बढ़ावा देने की व्यवस्था करने के लिए सहमत हैं।

4. डी.एम.डी. यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि इस समझौते के अंतर्गत आने वाले सामान खुदरा दुकानों पर एम.एफ.आर. द्वारा निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक कीमत पर नहीं बेचे जाएंगे।

5. डीएमडी एमएफआर द्वारा एमएफआर की नीतियों, मूल्य निर्धारण और एमएफआर द्वारा परिकल्पित विपणन नीतियों के संबंध में लिखित रूप में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

6. डीएमडी मास मीडिया विज्ञापन और मास टीवी विज्ञापन के अलावा सभी मार्केटिंग, वितरण व्यय वहन करने के लिए सहमत है। हालांकि डीएमडी द्वारा कम लागत पर स्थानीय केबल टीवी विज्ञापन प्रविष्टियां की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी विज्ञापन एमएफआर द्वारा अपने मुद्रित पत्रक या वेबसाइट में किए गए दावों के अनुरूप होगा और डीएमडी द्वारा कोई अतिरिक्त दावा विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

7. डीएमडी एमएफआर से लिखित में "विज्ञापन सामग्री" की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई प्रचार सामग्री नहीं छापेगा या प्रेस में कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा। डीएमडी हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विज्ञापन एमएफआर द्वारा अपने मुद्रित पत्रक या वेबसाइट में किए गए दावों के अनुरूप होंगे और डीएमडी द्वारा कोई अतिरिक्त दावा विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

8. डीएमडी एमएफआर के मुद्रित पत्रक या वेबसाइट पर खुले तौर पर घोषित किए गए दावों के अलावा उत्पादों के बारे में कोई बड़ा दावा नहीं करने पर सहमत हैं।

9. डीएमडी उत्पाद के प्रचार और वितरण के लिए पर्याप्त बिक्री स्टाफ, सामग्री और धन को नियोजित करने और एमएफआर द्वारा निर्धारित पारस्परिक रूप से सहमत बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहमत हैं।

10. डीएमडी किफायती मूल्यों पर एमएफआर की "संपूर्ण ग्राहक संतुष्टि" की नीति का पालन करने तथा अपने राज्य के सभी तालुकों में बिना किसी कमी के उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत हैं।

11. डीएमडी "पूर्ण ग्राहक संतुष्टि" प्राप्त करने तथा वितरकों और डीलरों की शिकायतों के समाधान के लिए एमएफआर के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं। डीएमडी तालुका वितरकों और डीलरों के सुझावों और शिकायतों पर स्वयं ध्यान देने के लिए सहमत हैं।

12. डीएमडी एमएफआर से नकद और कैरी शर्तों या अग्रिम भुगतान शर्तों पर उत्पादों को खरीदने के लिए सहमत हैं, और कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. डीएमडी सामान्य रूप से केवल अपने राज्य के भीतर तालुका वितरकों की नियुक्ति करने के लिए सहमत है और उसे भारत के बाहर उत्पाद निर्यात करने का अधिकार नहीं होगा। डीएमडी सामान्य रूप से अपने राज्य के बाहर नए वितरकों की नियुक्ति करने से परहेज करेगा। डीएमडी इस बात पर भी सहमत है कि एमएफआर

को उस राज्य में डीएमडी के रूप में अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है जहां डीएमडी काम कर रहा है, और सामान्य रूप से पूरे भारत में। (इसका मतलब है कि डीएमडी को अपने राज्य या आस-पास के जिलों के तालुकाओं में किसी अन्य डीएमडी या एसएमडी द्वारा टीएमडी नियुक्त करने से पहले अपने अधीन टीएमडी नियुक्त करने में तेजी दिखानी होगी।)

ए. 13 (ए). डीएमडी अन्य डीएमडी या एसएसडी द्वारा नियुक्त अन्य जिलों/राज्यों में तालुका वितरकों को बिक्री न करने के लिए सहमत है। डीएमडी अपने राज्य या अन्य राज्यों में डीलरों को सीधे बिक्री न करने के लिए भी सहमत है, जहां टीएमडी नियुक्त या मौजूद हैं। आम तौर पर एक डीएमडी द्वारा नियुक्त तालुका वितरक/डीलर को उसी डीएमडी द्वारा आपूर्ति की जाती रहेगी, जब तक कि ऐसा तालुका वितरक/डीलर उस जिले में काम करने वाले स्थानीय डीएमडी में स्विच करने की इच्छा न करे। हालांकि मल्टी डिस्ट्रिक्ट डीएमडी द्वारा नियुक्त गांव केवल उस डीएमडी से सामान खरीदेगा जिसने उसे/उन्हें नियुक्त किया है।

ख. 13 (बी) किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीओ) या जैविक किसान समूह (ओएफजी) या स्थानीय सहकारी समितियों को एक गांव डीलर के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त होगा और उन्हें संबंधित जिले के डीएमडी द्वारा सीधे नियुक्त किया जा सकता है।

सी. 13 (सी). सामान्यतः एक डीएमडी द्वारा नियुक्त डीलरों/टीएमडी को दूसरे डीएमडी द्वारा अपने पक्ष में करने से सभी डीएमडी को बचना चाहिए। (अनुमति नहीं है)

13 (डी). मल्टी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स (एमडी-डीएमडी): एमडी-डीएमडी वे होते हैं जो कई जिलों में काम करते हैं। उपरोक्त खंड 2 एमडी-डीएमडी पर लागू नहीं हो सकता है। ऐसे एमडी-डीएमडी भारत में कहीं भी, यानी कई राज्यों (जो रिक्त हैं) में अपने अधीन टीएमडी या डीलर नियुक्त करने के पात्र हैं। एमएफआर उन्हें कंपनी टीएमडी और डीलर के रूप में तभी मान्यता देगा जब वे केवल डीलरों टेक्नोलॉजीज उत्पादों में ही विशेष रूप से काम करते हों और उन्हें आवंटित 75% क्षेत्रों को कवर करते हों। अन्यथा ये टीएमडी या डीलर संबंधित डीएमडी या एसएमडी द्वारा इन तालुकाओं में नियुक्त समान टीएमडी के साथ सह-अस्तित्व में रहेंगे।

14. (ई). उपरोक्त 13 (डी) का अर्थ यह है कि एमएफआर द्वारा नियुक्त राज्य एसडी या डीएमडी को हमेशा अपने राज्य के भीतर प्रत्येक तालुका में तालुका वितरक नियुक्त करने का पहला अधिकार है, जब तक कि एमडी-डीएमडी एमएफआर द्वारा उस तालुका के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त टीएमडी के रूप में उनके अधीन नियुक्त टीएमडी / डीलरों की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम न हो।

15. डीएमडी सभी बाजार फीडबैक, वीडियो फीडबैक, बाजार रिपोर्ट आदि को साझा करने के लिए सहमत है तथा किसानों से ग्राहक प्रतिक्रिया प्रपत्र प्राप्त करने और उसे एमएफआर को सौंपने के लिए सहमत है।

16. डीएमडी एमएफआर के उत्पादों को सावधानीपूर्वक संभालने के लिए सहमत हैं, ताकि अंदर की सामग्री को नुकसान न पहुंचे और डीलरों तक उन्हें सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करें।

17. डीएमडी यह वचन देते हैं कि वे किसी भी प्रकार से उत्पाद के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि टीएमडी और डीलरों द्वारा भी इसका सख्ती से पालन किया जाए।
18. डीएमडी टीएमडी और डीलरों के नाम और पते तथा उनके द्वारा बेची गई मात्रा की जानकारी देने का दायित्व लेता है तथा एमएफआर द्वारा अनुरोध किए जाने पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर एमएफआर को इसकी रिपोर्ट करता है। (टीएमडी को कंपनी से मान्यता दिलाने के लिए यह महत्वपूर्ण है)
19. डीएमडी अपने जिले में एक तालुका के लिए केवल एक टीएमडी या 5 गांवों के लिए एक डीलर नियुक्त करने के लिए सहमत होंगे, और टीएमडी/वीडी के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचना सुनिश्चित करेंगे।
20. डीएमडी अपने सभी लेटर हेड, ब्रोशर, लीफलेट, हैंडआउट, पीओपी, नोटिस आदि में एमएफआर का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए सहमत है और यह तथ्य भी प्रकट कर सकता है कि डीएमडी राज्य के उस हिस्से में उत्पाद का जिला विपणन वितरक है।
21. इस समझौते के अंतर्गत आने वाले उत्पाद केवल नीचे उल्लिखित हैं:
- अ. पंचगव्य 5 मि.ली.
- बी. डीएफए सी सीडीपी 400 मिलीग्राम गाय और भैंसों के लिए गाय दूध बूस्टर - सांद्रता
- सी. डीसाल्ट 8 – इन – 1 उत्पाद
- d. कोई अन्य उत्पाद जो एमएफआर निकट भविष्य में पेश करने को तैयार है
22. डीएमडी एमएफआर द्वारा पूरे भारत में सभी डीएमडी, एमडी-डीएमडी/वितरक को दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं, भले ही डीएमडी एमएफआर के निर्देशों से सहमत न हो, बशर्ते कि ऐसे निर्देशों का पूरे देश में अधिकांश डीएमडी द्वारा पालन किया जाए।
23. डीएमडी स्थानीय भाषा में उत्पाद उपयोगकर्ता निर्देश (केवल वेबसाइट पर दिए गए अनुसार) प्रिंट करने और उनके द्वारा बेचे गए, आपूर्ति किए गए कंपनी के प्रत्येक उत्पाद के पाउच के साथ देने के लिए सहमत हैं। डीएमडी स्थानीय भाषा में उत्पाद पत्रक, ब्रोशर (केवल वेबसाइट पर दिए गए अनुसार) प्रिंट करने और उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उसी का उपयोग करने के लिए भी सहमत हैं।
24. डीएमडी, टीएमडी, वीडि और डीलरों के लिए मार्जिन केवल एमएफआर द्वारा तय किया जाएगा और डीएमडी सहमत है कि एमएफआर को मार्जिन बदलने का अधिकार है। व्यापार की जरूरतों के अनुरूप समय-समय पर मार्जिन में बदलाव किया जा सकता है। एमएफआर द्वारा डीएमडी को पत्र/ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। प्रस्तावित सभी योजनाओं के बारे में भी लिखित पत्राचार द्वारा सूचित किया जाएगा।

25. डीएमडी इस बात से सहमत है कि एमएफआर को बाजार की स्थितियों या सरकारों द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों के कारण जब भी आवश्यक हो एमआरपी बदलने का अधिकार है। वर्तमान में उत्पाद पंचगव्य 5 मिली, डीएफए सी सीडीपी 400 मिलीग्राम गाय दूध बूस्टर और डीसाल्ट 5 ग्राम शून्य रेटेड जीएसटी उत्पाद हैं (जिन्हें छूट प्राप्त कहा जाता है)।

26. डीएमडी इस बात से सहमत हैं कि एमएफआर को एमआरपी में परिवर्तन करने के लिए पैकिंग में मात्रा बदलने का अधिकार है।

27. अगले 6 महीनों का लक्ष्य एमएफआर द्वारा डीएमडी को सूचित किया जाएगा

28. डीएमडी बिना चूके बिक्री लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहमत हैं तथा भविष्य में उच्चतर विकास दर निर्धारित करने और मासिक बिक्री लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एमएफआर के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

29. डीएमडी अपने कर्मचारियों और टीएमडी और डीलरों को 5 एमएल को 500 एमएल तैयार पीजीएलओएम और, डीएफए सी सीडीपी 400 एमजी को 50 एमएल कैल्शियम लिक्विड में बदलने या कंसन्ट्रेट के किसी अन्य पैकिंग आकार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए सहमत है, और किसानों और उपयोगकर्ताओं द्वारा इस व्यवस्था द्वारा कवर किए गए उत्पादों का उचित और सही उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए सहमत है, और यह केवल डीएमडी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

30. एमएफआर से डीएमडी को भेजे जाने वाले सभी पत्र-व्यवहार केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे, जिन्हें डीएमडी प्राप्त करने, स्वयं अनुवाद करने तथा पूरी तरह से समझने के लिए सहमत होंगे।

31. एमएफआर बिना किसी देरी के उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए सहमत है। हालांकि एमएफआर को डीएमडी से लिखित में खरीद आदेश की आवश्यकता है और आपूर्ति भेजने के लिए 7 दिनों का समय चाहिए। एमएफआर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आदेशों को निष्पादित करने के लिए सहमत है। आपूर्ति आमतौर पर कूरियर के माध्यम से भेजी जाएगी और सीधे डीएमडी के पते पर भेजी जाएगी जिसे डीएमडी तुरंत एकत्र करने के लिए सहमत है। ऐसे कूरियर शुल्क एमएफआर द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि कोई लॉरी भाड़ा है तो उसका भुगतान केवल डीएमडी द्वारा किया जाएगा।

32. डीएमडी 2 महीने की बिक्री के लिए माल का स्टॉक करने और एमएफआर को स्टॉक की स्थिति और बिक्री के रुझान की पर्याप्त अग्रिम सूचना देने के लिए सहमत है, ताकि एमएफआर उत्पादन/स्टॉकिंग कार्यक्रम की योजना बना सके।

33. एमएफआर डीएमडी को उत्पाद प्रदर्शन की गारंटी देता है और यदि कोई बैच/उत्पाद प्रदर्शन नहीं कर रहा है या मानकों से नीचे प्रदर्शन कर रहा है, तो एमएफआर डीएमडी की पूर्ण संतुष्टि के लिए ऐसे बैच/उत्पादों को बदलने के लिए सहमत है।

34. एमएफआर विनिर्माण करने के लिए आवश्यक किसी भी लाइसेंसिंग का पालन करने और डीएमडी को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। आज तक कवर किया गया उत्पाद एफसीओ 1985 से बाहर है। इस प्रकार उत्पाद को पंजीकृत

उर्वरक/कीटनाशक दुकानों के माध्यम से नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन हमारे द्वारा नियुक्त वितरकों, डीलरों, एजेंटों और व्यक्तियों द्वारा बेचा जा सकता है। हमारे या हमारे नीचे के किसी भी वितरक द्वारा कोई फॉर्म "ओ" जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उत्पाद बायो स्टिमुलेंट्स में भी शामिल नहीं हैं।

35. एमएफआर समग्र बिक्री में सुधार के लिए आवश्यकतानुसार उत्पाद की पैकिंग, सुरक्षित सीलिंग, लेबल आदि में परिवर्तन कर सकता है और डीएमडी इसके लिए सहमत होगा।

36. एमएफआर प्रत्येक व्यक्तिगत पाउच में निर्माण का महीना और बैच नंबर डालने के लिए सहमत है। उत्पाद की समाप्ति तिथि 2 या 3 वर्ष बताई जाएगी।

37. डीएमडी इस बात से सहमत हैं कि एमएफआर को अधिक बिक्री प्राप्त करने और पूर्ण ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने तथा दोहराव से बचने के लिए उत्पाद, पैकिंग, सीलिंग, कंटेनर, लेबल, लेबल में सामग्री आदि में सुधार/परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है।

38. डीएमडी इस बात से सहमत है कि एमएफआर को किसी भी राज्य या पूरे भारत में मार्केटिंग कंसल्टेंट नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे मार्केटिंग कंसल्टेंट कम अवधि के लिए कोई भी प्रत्यक्ष मार्केटिंग करेंगे जो कि अधिकतम छह महीने तक हो सकती है, भारी छूट वाली कीमतों पर या मुफ्त में। यह एमएफआर द्वारा डीएमडी को पूर्व सूचना देकर और केवल उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

39. डीएमडी इस बात से सहमत हैं कि यदि आवश्यक हो तो एमएफआर को ब्रांड नाम शुरू करने का अधिकार है और वे ऐसी स्थिति में एमएफआर के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

40. एमएफआर को विपणन नीतियों, मूल्य निर्धारण के बारे में निर्णय लेने तथा डीएमडी को दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है।

41. एमएफआर को डीएमडी के परामर्श से या स्वयं टीएमडी/डीलरों की बैठकों में भाग लेने/आयोजित करने का अधिकार है।

42. डीएमडी प्रारंभ में निम्नलिखित भुगतान करके एमएफआर से माल खरीदने के लिए सहमत है: एक जिला स्तरीय डीएमडी के लिए 5,00,000 रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) और बहु जिला डीएमडी के लिए प्रत्येक जिले के लिए 3,00,000 रुपये।) डीएमडी बिक्री बढ़ने पर अधिक धनराशि निवेश करने के लिए सहमत है।

43. जब भी जीएसटी कानून उत्पादों पर लागू होगा, एमएफआर और डीएमडी दोनों द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।

44. राज्य में सभी स्थानीय सरकारी ऑर्डर एमएफआर द्वारा सीधे आपूर्ति किए जा सकते हैं, यदि सरकारी विभाग द्वारा ऐसा आग्रह किया जाता है, जिसके लिए डीएमडी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि सरकारी विभाग द्वारा ऐसा आग्रह किया जाता है, तो डीएमडी को कोई कमीशन या ऑर्डर प्रोसेसिंग व्यय देय नहीं होगा। हालाँकि, डीएमडी को ऐसे थोक ऑर्डर हासिल करने के लिए उसके सभी प्रयासों के लिए उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा।

45. यह आवंटन एमएफआर द्वारा डीएमडी पर तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

46. आवंटन की इन सामान्य शर्तों को एमएफआर द्वारा संशोधन / लिखित पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से परिवर्तित, परिवर्तित या बदला जा सकता है या एमएफआर द्वारा इस समझौते के स्थान पर आवंटन की पूरी तरह से नई शर्तें बनाई जा सकती हैं।

47. सभी विवाद केवल चेन्नई न्यायक्षेत्र के अधीन होंगे।

द्वारा सहमति व्यक्त की गई:

निर्माता जिला विपणन वितरक

गवाह: गवाह:

(नोट: कृपया उपरोक्त खंड संख्या 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

संस्करण दिनांक: 2 6 23

